राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	19/2016 रतन कँवर बनाम बन्ने सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
24/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02/09/2013 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को ग्राम चक चारणवास खसरा नम्बर 37 रकबा 3.81 हैक्टेयर, जिसके साबिक खसरा नम्बर 35 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा का वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से एवं मौके पर सरस-नरस एवं कब्जे के अनुसार वादीया का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सानुसार कब्जे एवं रास्ते को ध्यान में रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/12/2015 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से पक्षकारान/सहखातेदार के मध्य किया गया विभाजन न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के सम्बन्ध में उठाई गयी आपत्तियां स्वीकार योग्य प्रतीत नही होती है। ऐसेमें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/12/2015 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	